इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2015—भाद्र 2, शक 1937

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्रमांक : एफ 1 -02/2014/साठ - मंत्रि-परिषद् की दिनांक 04 अगस्त 2015 को सम्पन्न बैठक में नवकरणीय ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीतियों में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के पक्ष में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन के लिये सौर ऊर्जा परियोजना नीति- 2012, पवन ऊर्जा परियोजना नीति-2012, मध्यप्रदेश लघुजल विद्युत् आधारित विद्युत् परियोजना क्रियान्वयन नीति 2011 एवं मध्यप्रदेश बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना क्रियान्वयन नीति 2011 की संबंधित कण्डिकाओं में प्रावधान जोडे गए हैं। सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

सौर ऊर्जा परियोजना नीति - 2012

खण्ड अ कण्डिका- 4 शीर्ष- नीति के अंतर्गत सौर परियोजनाओं का वर्गीकरण:

"श्रेणी-V : सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं दवारा शासकीय भूमि पर स्थापित होने वाली परियोजनाएं।"

खण्ड अ कण्डिका- 6 शीर्ष - क्षमता की परिसीमाएं :

ड) श्रेणी-V की परियोजनाएं : परियोजना की क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

खण्ड अ कण्डिका- 7 शीर्ष - पात्र इकाईयां :

ड) श्रेणी-V की परियोजनाएं :

ड-1) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, शासकीय भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन हेतु किसी भी समय आवेदन कर सकेंगी। किसी भी समय परियोजना के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में, परियोजनाओं को भूमि उपयोग की अनुमति निःशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं में मध्यप्रदेश शासन की हिस्सेदारी, भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि के बराबर, निम्न विकल्पों के रूप में सुनिश्चित होगी। इन विकल्पों में से चुनाव का अधिकार संबंधित सार्वजनिक संस्था का होगा -

i) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर अथवा परियोजना हेतु संयुक्त स्वामित्व अनुबंध कर परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। इस माध्यम से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के उपयोग हेतु दी जाने वाली भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि उक्त संयुक्त कंपनी अथवा संयुक्त स्वामित्व अनुबंध में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अंश भागीदारी के रूप में समायोजित की जाएगी ।

ii) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं परियोजना स्थापित किये जाने की स्थिति में, परियोजना से उत्पादित कुल ऊर्जा में से, उपरोक्तानुसार संगणित कुल राशि व परियोजना की मानक लागत के अनुपात में, समानुपातिक ऊर्जा का मूल्य, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को दिया जाएगा। उक्त ऊर्जा के मूल्य की गणना संबंधित नियामक आयोग द्वारा नियत दर पर की जाएगी।

ड-2) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को जमा कराएगा। यदि राशि निर्धारित समयावधि से अधिक समय में जमा कराई जाती है, तब राशि की गणना Net Present Value के अनुसार की जाएगी।

पवन ऊर्जा परियोजना नीति - 2012

खण्ड अ कण्डिका- 2 शीर्ष- परियोजना आवंटन प्रक्रिया:-

2(स-1) - सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, शासकीय भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन हेतु किसी भी समय आवेदन कर सकेंगी। परियोजना की क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। किसी भी समय परियोजना के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में, परियोजनाओं को भूमि उपयोग की अनुमति निःशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं में मध्यप्रदेश शासन की हिस्सेदारी, भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि के बराबर, निम्न विकल्पों के रूप में सुनिश्चित होगी। इन विकल्पों में से चुनाव का अधिकार संबंधित सार्वजनिक संस्था का होगा -

i) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर अथवा परियोजना हेतु संयुक्त स्वामित्व अनुबंध कर परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। इस माध्यम से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के उपयोग हेतु दी जाने वाली भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि उक्त संयुक्त कंपनी अथवा संयुक्त स्वामित्व अनुबंध में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अंश भागीदारी के रूप में समायोजित की जाएगी।

ii) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं परियोजना स्थापित किये जाने की स्थिति में, परियोजना से उत्पादित कुल ऊर्जा में से, उपरोक्तानुसार संगणित कुल राशि व परियोजना की मानक लागत के अनुपात में, समानुपातिक ऊर्जा का मूल्य, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को दिया जाएगा। उक्त ऊर्जा के मूल्य की गणना संबंधित नियामक आयोग द्वारा नियत दर पर की जाएगी।

2(स-2) - नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को जमा कराएगा । यदि राशि निर्धारित समयावधि से अधिक समय में जमा कराई जाती है, तब राशि की गणना Net Present Value के अनुसार की जाएगी।

मध्यप्रदेश बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना क्रियान्वयन नीति 2011

कण्डिका- 2 शीर्ष-पंजीकरण के लिये मानदण्ड -

कण्डिका 2(अ-1)- सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, शासकीय भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन हेतु किसी भी समय आवेदन कर सकेंगी। परियोजना की क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। किसी भी समय परियोजना के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में, परियोजनाओं को भूमि उपयोग की अनुमति निःशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं में मध्यप्रदेश शासन की हिस्सेदारी, भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि के बराबर, निम्न विकल्पों के रूप में सुनिश्चित होगी। इन विकल्पों में से चुनाव का अधिकार संबंधित सार्वजनिक संस्था का होगा -

i) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर अथवा परियोजना हेतु संयुक्त स्वामित्व अनुबंध कर परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। इस माध्यम से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के उपयोग हेतु दी जाने वाली भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि उक्त संयुक्त कंपनी अथवा संयुक्त स्वामित्व अनुबंध में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अंश भागीदारी के रूप में समायोजित की जाएगी ।

ii) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं परियोजना स्थापित किये जाने की स्थिति में, परियोजना से उत्पादित कुल ऊर्जा में से, उपरोक्तानुसार संगणित कुल राशि व परियोजना की मानक लागत के अनुपात में, समानुपातिक ऊर्जा का मूल्य, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को दिया जाएगा। उक्त ऊर्जा के मूल्य की गणना संबंधित नियामक आयोग द्वारा नियत दर पर की जाएगी।

कण्डिका- 2(अ-2)नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को जमा कराएगा। यदि राशि निर्धारित समयावधि से अधिक समय में जमा कराई जाती है, तब राशि की गणना Net Present Value के अनुसार की जाएगी।

मध्यप्रदेश लघुजल विद्युत् आधारित विद्युत् परियोजना क्रियान्वयन नीति 2011

कण्डिका-4 शीर्ष- चयन प्रक्रिया-

कण्डिका-4.3 - नीति की कण्डिका 2.0 में वर्णित श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 की परियोजनाओं के आवंटन हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, शासकीय भूमि पर किसी भी समय आवेदन कर सकेंगी। परियोजना की क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। इन परियोजनाओं को नीति की कण्डिका-5.2 के अनुसार न्यूनतम निःशुल्क ऊर्जा शासन को प्रदान करनी होगी, तदापि अतिरिक्त निःशुल्क ऊर्जा देय नहीं होगी।

4.3.1 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा किसी भी समय परियोजना के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में, परियोजनाओं को भूमि उपयोग की अनुमति निःशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं में मध्यप्रदेश शासन की हिस्सेदारी, भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि के बराबर, निम्न विकल्पों के रूप में सुनिश्चित होगी। इन विकल्पों में से चुनाव का अधिकार संबंधित सार्वजनिक संस्था का होगा -

i) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर अथवा परियोजना हेतु संयुक्त स्वामित्व अनुबंध कर परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। इस माध्यम से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के उपयोग हेतु दी जाने वाली भूमि की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीति के अनुसार देय दर पर संगणित कुल राशि उक्त संयुक्त कंपनी अथवा संयुक्त स्वामित्व अनुबंध में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अंश भागीदारी के रूप में समायोजित की जाएगी ।

ii) सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं परियोजना स्थापित किये जाने की स्थिति में, परियोजना से उत्पादित कुल ऊर्जा में से, उपरोक्तानुसार संगणित कुल राशि व परियोजना की मानक लागत के अनुपात में, समानुपातिक ऊर्जा का मूल्य, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को दिया जाएगा। उक्त ऊर्जा के मूल्य की गणना संबंधित नियामक आयोग द्वारा नियत दर पर की जाएगी।

4.3.2- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को जमा कराएगा । यदि राशि निर्धारित समयावधि से अधिक समय में जमा कराई जाती है, तब राशि की गणना Net Present Value के अनुसार की जाएगी।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.